प्रेस -विज्ञप्ति

नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र के ग्राम-भंगेल बेगमपुर में भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण मनोरमा कुच्छल व अन्य बनाम डी.एम. व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनाँक 05.05.2022 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा के विरूद्ध गैर जमानती वारंट का आदेश पारित किया गया था।

उक्त आदेश के विरूद्ध नौएडा प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित की गई, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आज दिनाँक 12.12.2022 को आदेश पारित करते हुए मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 28.04.2022 व 05.05.2022 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नौएडा की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त करते हुए गैर जमानती वारंट को निरस्त कर प्रश्नगत मामले को मा0 उच्च न्यायालय को अंतिम रूप से निर्णय हेतु प्रेषित किया गया है।